रु. 25000 पच्चीस हजार रूपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 362599

ॐ

(1)

विक्रित सम्पत्ति मूल्यांकन सूची के भाग–4 (क–1) (IV) के पेज सं. 14 के क्रम संख्या 215 वाकै मौजा **मैरी** ब्लाक **बड़ागॉव** तहसील व जिला झाँसी के अनुसार सामान्य भूमि की दर 40,00,000/– रूपया प्रति हेक्टेयर। विक्रित आराजी किसी भी सर्वऋतु मार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग/NH पर स्थित नहीं है।

स्टाम्प का कुल योग	–	81,500/–
दस्तावेज का प्रकार	–	बैनामा
जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार मूल्य	–	11,64,000/–
विक्रय मूल्य	–	5,60,000/–

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

INDIA

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 362600

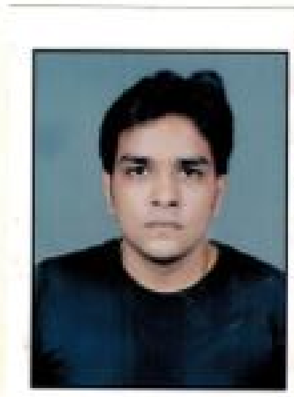

कोषागार, झाँसी
कोषाधिकारी

(2)

मौजा	–	मैरी
ब्लाक	–	बड़ागॉव
सम्पत्ति का प्रकार	–	कृषिकीय
मापन की इकाई	–	हेक्टेयर
सम्पत्ति का क्षेत्रफल	–	**0.291 हेक्टेयर यानि 72 डेसीमिल**
सडक की स्थिति	–	विक्रित आराजी सड़क एवं आबादी से 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।
पेड़ों की मूल्यांकन	–	कोई पेड़ नहीं है।
बोरिंग/कुआँ/अन्य	–	कोई कुआँ आदि नहीं है।

रु.20000 बीस हजार रूपये

TWENTY THOUSAND RUPEES Rs.20000

सत्यमेव जयते INDIA

त्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 211251

(3)

कोषागार, झाँसी
मुख्य रोकड़िया कोषाधिकारी

प्रथम पक्ष की संख्या – पाँच

द्वितीय पक्ष की संख्या – एक

नाम व पता विक्रेता प्रथम पक्ष–श्री मंगल प्रसाद उर्फ मंगल माली निवासी–50,वैद्यराज, शहर व जिला झाँसी हॉल निवासी–215, ग्राम मैरी तहसील व जिला झाँसी (पहचान, पहचान पत्र सं0 GYR4331989से की गयी है।) व श्री कुंजीलाल उर्फ कुंजी व निवासी–50,वैद्यराज, शहर व जिला झाँसी व हॉल निवासी–50, तिलयानी बजरिया शहर व जिला झाँसी (पहचान, पहचान पत्र सं0 UP/61/328/117463 से की गयी है।) पुत्रगण श्री गोविन्दास व श्री

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 916945

कोषागार, झाँसी
मुख्य रोकड़िया कोषाधिकारी

(4)

अमित उर्फ अमित सैनी (पहचान, पेनकार्ड नं. DKIPS4311H से की गयी है) व श्री अमर उर्फ अमर चन्द्र सैनी निवासी–50,वैद्यराज, शहर व जिला झाँसी (पहचान, पहचान पत्र सं0 ZTU1385640 से की गयी है।) पुत्रगण स्व0 कैलाश व श्रीमती रंजना पत्नी स्व0 कैलाश निवासी–511,वैद्यराज, शहर व जिला झाँसी (पहचान, पहचान पत्र सं0 DCT4915286 से की गयी है।) व हॉल निवासीगण–ग्राम मैरी तहसील व जिला झाँसी

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 840054

कोषागार, झाँसी

(5)

नाम व पता क्रेता द्वितीय पक्ष– **श्री सुदीप बिलैया पुत्र श्री सीताराम बिलैया निवासी–17, सिविल लाईन, जार पहाड़ के पास, सर्व नगर सी0पी0 मिशन कम्पाउण्ड, तहसील व जिला झाँसी** (पहचान, मतदाता पहचान पत्र सं. ZTU2169480 से की गयी है)

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

भारत INDIA सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 840059 कोषागार, झाँसी

(6)

<u>सम्पत्ति का विवरण</u> :– आराजी भूमिधरी वाकै मौजा **मैरी** ब्लाक **बड़ागॉव** परगना व जिला झाँसी जिसका **खाता संख्या 00165 आराजी नम्बर 250 मि0 रकबा 2.468 हेक्टेयर में से रकबा 0.291 हेक्टयर यानि 72 डेसीमिल वय की गयी है।** विक्रित आराजी सड़क एवं आबादी से 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रित आराजी किसी भी सर्वत्रऋतु मार्ग, जनपदीय मार्ग या लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। दस्तावेज हाजा के साथ विक्रित आराजी का नक्शा संलग्न है जिसमें विक्रित आराजी नम्बर वरंग लाल से दर्शाया गया हैं, जो बैनामा का अंश भाग है। विक्रित आराजी औद्योगिक क्षेत्र की भूमि नहीं हैं विशुद्ध कृषिकीय भूमि है। विक्रित आराजी में कोई पेड़, कुऑं आदि नहीं है। विक्रित आराजी राकर सोयम सिंचित है। वयशुदा आराजी का नया लगान 10.85 रूपया

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 840056

कोषागार, झाँसी

मुख्य रोकड़िया कोषाधिकारी

(7)

सालाना है। वयशुदा आराजी ग्राम सभा या अन्य किसी ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है। उक्त आराजी में अकृषक भूमि की घोषणा यू0पी0 जेड0ए0 एण्ड एल.आर. एक्ट की धारा 143 की घोषणा नहीं हुई है। तहसील सदर के राजस्व अभिलेखों में भी विक्रित भूमि कृषिकीय भूमि के रूप में दर्ज है। एवं वर्तमान में कृषि कार्य के उपयोग में लायी जा रही है। इस प्रकार विक्रित भूमि राजस्व अभिलेखों में एवं मौके के अनुसार लगान अदा करने वाली कृषिकीय भूमि है। विक्रित आराजी मूल्यांकन सूची में राजस्व ग्रामों में सड़क से संलग्न व आबादी से 200 मीटर सीमान्तर्गत स्थित आराजीयत की सूची (वर्तमान प्रभावी मूल्यांकन सूची के पेज सं. 36, 37 क्रम संख्या 5) में वर्णित क्षेत्रवार नम्बरान के किसी भी नम्बरान के अन्तर्गत नहीं आती है। विक्रित आराजी विक्रेता नम्बर 1 व 2 ने स्वयं व विक्रेता नं0 5 के स्व0 पति व विक्रेता 3 व 4 के स्व0 पिता स्व0 श्री कैलाशचन्द्र ने सयुक्त रूप से जरिये 2 किता बैनामा दिनांक 20–12–1991 ई0 को श्री कालीचरन पुत्र श्री हरलाल से खरीद की थी। जिसकी रजिस्ट्री

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कोषागार, झाँसी

(8)

कार्यालय सब रजिस्ट्रार झाँसी में फोटो स्टेट प्रतिपुस्तक सं. I खण्ड 399 के पेज सं. 263/274 पर क्रम संख्या 8849 दिनांक 23–12–1991 ई0 दर्ज है। व द्वितीय बैनामा दिनांक 29–04–1993 ई0 को श्री धनीराम पुत्र श्री हरलाल से खरीद की थी। जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार झाँसी में फोटो स्टेट प्रतिपुस्तक सं. I खण्ड 640 के पेज सं. 353/368 पर क्रम संख्या 2547 दिनांक 30–04–1993 ई0 दर्ज है।

विक्रेता अनुसूचित जाति एवं जनजाति का सदस्य नहीं है।

विक्रय मूल्य– **5,60,000/– पाँच लाख साठ हजार रूपया जिसमें से मु0 4,00,000/– रूपया जरिये चैक नं. 421072 कार्पोरेशन बैंक झाँसी दिनांक 16–07–2012 ई0 द्वारा व मु0 1,60,000/– रूपया नगद पूर्व प्राप्त कर लिया है।**

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कोषागार, झाँसी

मुख्य रोकड़िया

(9)

श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार मूल्य	11,64,000/– ग्यारह लाख चौसठ हजार रूपया से अधिक नहीं है।

हम कि विक्रेतागण उपरोक्त आराजी उपरोक्त के सम्पूर्ण रूप से मालिक काबिज व दखील हैं, जो कहीं वय हिवा रहिन आदि नहीं है यानि हर प्रकार के जुम्लावार किफालत से पाक साफ व वरी है न ही आराजी के स्वामित्व के सम्बन्ध मे कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन है न ही आराजी किसी जमानत, डिग्री, ऋण आदि में मगफूल है। चूँकि हम विक्रेतागण की रूपयों की जरूरत है अतः हम विक्रेतागण अपनी उपरोक्त आराजी वकीमत उपरोक्त में बहक क्रेता उपरोक्त वय व फरोख्त करते हैं, कब्जा दखल मालिकाना आज ही की तारीख से क्रेता उपरोक्त को वखूवी मौके पर करा दिया है अधिकार आप क्रेता आराजी मुवैया में स्वयं काश्त करें, या किसी अन्य व्यक्ति से काश्त करावें, कागजात मालिकान से हमारा नाम खारिज कराके अपना नाम दर्ज कागजात करावें वय हिवा रहिन करें गर्ज यह है

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 840059

कोषागार, झाँसी

कि जो जी चाहे सो करें। आज की तारीख से आराजी मुवैया से हमारा व हमारे वारिसान का कोई वास्ता व सरोकार नही रहा न आयन्दा होगा। काश किसी कानूनी नुक्स की वजह से आराजी मुवैया कब्जे क्रेता से निकल जावे तो कुल कीमत मय हर्जा व खर्चा के देनदार व जिम्मेदार हम विक्रेतागण रहेंगे। विक्रेतागण एवं क्रेता का कथन है कि प्रस्तुत विलेख में मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले किसी भी तथ्य को नहीं छुपाया गया है सभी तथ्य सही–सही एवं पूर्ण वर्णित किये गये हैं। यदि विक्रेतागण द्वारा तहरीरशुदा दस्तावेज में किन्ही तथ्यों को छुपाया जाता है या कोई कूट रचना करायी जाती है तो उक्त कृत्य का सम्पूर्ण दायित्व मुकदमों आदि जैसे फौजदारी, दीवानी, माल, राजस्व, स्टाम्प एक्ट के वादों का दायित्व विक्रेतागण का ही होगा, सब रजिस्ट्रार, वकील (एडवोकेट), दस्तावेज लेखक, टाईपकर्ता या जरिये वकील चित्र प्रमाणित के गवाह का नहीं होगा, कूट रचित दस्तावेज का सम्पूर्ण दायित्व विक्रेतागण का ही होगा। लिहाजा स्वेच्छा से विक्रेतागण एवं क्रेता द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर तथा बिना किसी जब्र या दबाव के यह बैनामा तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे वक्त जरूरत पर काम आवें।

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 120269

दिनांक : 25–07–2012

प्रारूपकर्ता : पं0 हरीश कुमार तिवारी, एडवोकेट, तहसील झाँसी

टाईपकर्ता : अरविन्द कुशवाहा, तहसील झाँसी

प्रस्तुत प्रलेख के निष्पादक/सत्यापित किया

श्री/श्रीमती Suresh s/o Shri ...

निवासी Vaidraj Jhansi

द्वारा प्रस्तुत है Suresh Kumar Jodiya

हस्ता० निष्पादक

Tomar

Sudeep

गवाह (1) Jagdish Kumar Near Jar Pahar Sarva nagar, C. P. mission Compound Jhansi

गवाह (2) S.K. Jodiya S/o late Shri B.M. Jodiya, Ivo Vaidraj Jhansi

एक किता
स्थित
नाम विक्रेता
नाम क्रेता
चौहादी
पूर्व
पश्चिम
उत्तर
दक्षिण

विक्रेता क्रेता

आज दिनांक **26/07/2012** को

वही सं. **1** जिल्द सं. **5030**

पृष्ठ सं. **187** से **212** पर कमांक **5155**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रकाशचन्द्र गुप्ता

उप निबन्धक प्रथम

झाँसी

26/7/2012

न्यायालय तहसीलदार झाँसी

वाद सं० 1281/11-12

ता० नि० 15/9/12

6/11/12